राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3304/2025

पीताम्बर मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.07.2025
आदेश की दिनांक : 15.07.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.7.2023 के अनुसार 25 वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया है और पीपीओ के समय लागू 46 प्रतिशत के बजाय डीए के 42 प्रतिशत की दर से पीएल का भुगतान किया है। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कार्यालय से दिनांक 31.7.2023 के कार्यालय आदेश द्वारा सहायक अभियंता के पद पर अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त टोंक से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। (अनुलग्कन–1 व 2) वित्त विभाग (पेंशन) (संशोधन) अधिसूचना दिनांक 25.7.2023 द्वारा सेवाएं राजस्थान सिविल (पेंशन) (संशोधन) नियम 2023 बनाता है। उक्त नियमों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 54(2) में 28 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया। (अनुलग्नक–3) उक्त संशोधित नियमों के अनुसार, प्रत्यर्थी विभाग को सेवा लाभ की गणना 28 वर्ष के बजाय 25 वर्ष के आधार पर करनी थी। इसके अतिरिक्त पी.एल. का भुगतान 42 प्रतिशत की दर से किया गया है, जबकि पी.पी.ओ. के समय यह दर लागू थी। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 30.6.2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय की मांग हेतु नोटिस दिया। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग को संशोधित पेंशन नियम 2023 के अनुसार 28 वर्षों के बजाय 25 वर्षों के आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर अपीलार्थी के सेवा लाभों की गणना की जावे एवं पीपीओ जारी करते समय लागू डीए के 46 प्रतिशत की दर से पीएल की गणना की जावे तथा देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अंतर राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष